

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 76

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02211

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अविनाश गार्डन सिटी", प्रमोटर-ए.डी.पी.एल. एस्टेट प्रा.लि., द्वारा-श्री अनिल अग्रवाल, पता-अविनाश हाउस, मारुति बिजनेस पार्क, जी.ई.रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"अविनाश गार्डन सिटी" पता-ग्राम-सेमरिया, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "अविनाश गार्डन सिटी" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA300618000420 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 30.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.09.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 24.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 14.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट "अविनाश गार्डन सिटी" आवासीय भूखण्डीय परियोजना का विकास कार्य पूर्ण किया जाकर कॉलोनी का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.2023 को प्राप्त हो गया है। अनावेदक द्वारा उक्त परियोजना हेतु प्राधिकरण के नियमानुसार द्वितीय त्रैमासिक अद्यतन से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सहित ऑनलाईन पोर्टल में दिनांक 29.10.2023 को अपलोड किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 76

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02211

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अविनाश गार्डन सिटी", प्रमोटर-ए.डी.पी.एल. एस्टेट प्रा.लि., द्वारा-श्री अनिल अग्रवाल, पता-अविनाश हाउस, मारुति बिजनेस पार्क, जी.ई.रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"अविनाश गार्डन सिटी" पता-ग्राम-सेमरिया, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार सितम्बर, 2023 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से दिनांक 29.08.2023 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</li><li>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</li><li>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</li></ul> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>